समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

8 DEC 2017

क्रमांक– प्रशा./तीन (12)/2017/1537-A दिनांक :–

प्रति,
कार्य परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषय : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 04.12.2017 के कार्य विवरण ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 04–12–2017 के कार्य विवरण की एक प्रति मय परिशिष्ट में आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य–विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

संलग्न : यथोपरि

कुलसचिव

aruna/mi/covering lette-15

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2017 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, नालंदा परिसर, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए :–

1. डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रोफेसर मोहनलाल छीपा — सदस्य
3. श्री चन्द्रशेखर रायकवार — सदस्य
4. डॉ. कृष्ण कुमार तिवारी — सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) सुनीता चन्द्रा — सदस्य
6. डॉ. के. एन. चतुर्वेदी, (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/प्रतिनिधि) — सदस्य
7. श्रीमती नीलम निनामा (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा) — सदस्य
8. श्रीमती गीता मरकाम — सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पुष्पलता केसरी — सदस्य
10. श्री अजय वर्मा, प्रभारी कुलसचिव/सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :–
श्रीमती रागिनी मक्खर

बैठक का प्रारंभ विश्वविद्यालय कुलगीत से किया गया।

बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रथम बार पधारे प्रोफेसर मोहनलाल छीपा तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/प्रतिनिधि डॉ. के. एन. चतुर्वेदी को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए स्वागत किया गया।

कार्य–वृत्त

विषय क्रं. –1 कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 4.10.2017 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि विषयक

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2017 के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2017 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि की गई।

(कार्यवाही : प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. –2 कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2017 में लिये गये निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन बावत।

परिषद द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2017 में लिये गये निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही ग्राह्य की गई।

विषय क्रं. –3 विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 7.11.2017 के कार्य विवरणों पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 7.11.2017 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 7.11.2017 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाही : शैक्षणिक विभाग)

विषय क्रं. –4 इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, इन्दौर में प्राचार्य की नियुक्ति विषयक।

निर्णय लिया कि इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, इन्दौर की शासी निकाय की बैठक दिनांक 23.6.2017 में अनुशंसित डॉ. आलोक मित्तल की प्राचार्य पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाही : प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. –5 श्री शैलेषसिंह चौहान व्याख्याता आई.ई.टी. के त्याग–पत्र स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि श्री शैलेषसिंह चौहान, व्याख्याता आई.ई.टी. का त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

(कार्यवाही : स्थापना विभाग)

विषय क्रं. –6 वर्ष 2017 की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र/छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णयक समिति के गठन पर पुर्नविचार।

निर्णय लिया गया कि वर्ष 2017 की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र/छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णायक समिति के गठन तथा समिति के अध्यक्ष के मनोनयन हेतु परिषद् द्वारा माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।

(कार्यवाही : गोपनीय विभाग)

विषय क्रं. –7 माह जून–जुलाई 2017 की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षा के तथा सत्र 2014–15 की एम.एड मुख्य परीक्षा के लंबित प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम समिति के निर्णय अनुमोदनार्थ विषयक।

कार्यपरिषद के द्वारा निर्णय लिया गया कि माह जून–जुलाई 2017 की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षा के तथा सत्र 2014–15 की एम.एड मुख्य परीक्षा के लंबित प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम समिति के निर्णयों की सूचना ग्रहण की जाए एवं उनका अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : गोपनीय विभाग)

विषय क्रं. –8 वित्त समिति की आगामी बैठक दिनांक 29.11.2017 के कार्य–विवरण पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.11.2017 का कार्य विवरण अवलोकन उपरान्त निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.11.2017 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाही : लेखा विभाग)

विषय क्रं. –9 विश्वविद्यालय के Digital University के रूप में विकसित करने e-Governance का प्रयोग करके Modern Automation System for University (MAS) Software Tool बनाने की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सम्पुष्टि विषयक।

कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के ऑटोमेशन सिस्टम के लिए माननीय कार्यपरिषद् के सदस्य डॉ. के.के. तिवारी द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित कर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही : कम्प्यूटर सेन्टर)

विषय क्रं. –10 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2016–2017 अनुमोदन/स्वीकृति विषयक।

कार्यपरिषद द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2016–2017 (30 जून, 2017 को समाप्त हुए अकादमिक वर्ष का) अवलोकन करते हुए निर्णय लिया कि वार्षिक प्रतिवेदन 2016–2017 स्वीकृत कर विधान सभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु सुधार के साथ अनुमोदित किया जाता है।

(कार्यवाही : प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. –11 डॉ. कपिल शर्मा, रीडर, प्रबंधन अध्ययन संस्थान (स्ववित्त) के दिनांक 11.12.2017 से 10.12.2019 तक दो वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि डॉ. कपिल शर्मा, रीडर प्रबंधन अध्ययन संस्थान (स्ववित्त) को Tripura University, (A Central University) Suryamaninagar, Agartala में प्रोफेसर के पद पर कार्य–ग्रहण करने हेतु दिनांक 11.12.2017 से 10.12.2019 तक दो वर्ष का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही : स्थापना विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क्रं. –12 गृह विज्ञान संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्वर्ण पदक देने के संबंध में विचार।

परिषद द्वारा गृह विज्ञान संकाय के अंतिम वर्ष की प्रावीण्य सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को **Prof. (Mrs.) Nasreen Rehman Shiekh** की स्मृति में स्वर्ण पदक देने के संबंध में प्रस्तावक द्वारा निर्धारित राशि रुपए 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार केवल) विश्वविद्यालय कोष में जमा किये जाने के उपरान्त स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु पदक संस्थापन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. –13 विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 93वीं बैठक दिनांक 25.10.2017 के कार्यवाही विवरण ग्राह्य करने विषयक।

निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति की 93वीं बैठक दिनांक 25.10.2017 के कार्य विवरण को ग्राह्य किया गया।

(कार्यवाही प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. –14 पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने बावत् कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ।

शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा संतोषजनक होने एवं परीक्षकों द्वारा शोध उपाधि प्रदान किये जाने की अनुशंसानुसार संबंधित विषय के संकाय में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की माननीय कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाही : गोपनीय विभाग)

विषय क्रं. –15 श्री रोहित उज्जैनी अधिवक्ता/समन्वयक की मानदेय राशि में वृद्धि विषयक।

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में न्यायालयीन प्रकरणों की वृद्धि होने से एवं मंहगाई बढ़ने से अधिवक्ता श्री उज्जैनी की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय राशि रुपए 7500/– से बढ़ाकर राशि रुपए 12,000/– मानदेय प्रतिमाह प्रशासन के आदेश क्रमांक प्रशा./तेईस(4)/2017/1299 दिनांक 6.10.2017 के द्वारा 01 वर्ष की अवधि तक दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(कार्यवाही :– प्रभारी विधि सेल)

विषय क्रं. –16 राज्य शासन के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2009 (छठा वेतनमान) में दिनांक 1.7.2017 से 03 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान में 01 प्रतिशत की दर से वृद्धित मंहगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ4–2/2017/नियम/चार भोपाल दिनांक 30 नवम्बर 2017 के आधार पर राज्य शासन के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2009 (छठा वेतनमान) में दिनांक 1.7.2017 से 03 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान में 01 प्रतिशत की दर से वृद्धित मंहगाई भत्ता राज्यशासन के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) के अन्तर्गत नगद भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही : स्थापना विभाग)

विषय क्रं. –17 वाणिज्य अध्ययनशाला में स्ववित्त मद से अतिथि विद्वानों को रुपए 825/– प्रतिदिन की दर से भुगतान स्वीकृति बावत्।

निर्णय लिया गया कि वाणिज्य अध्ययनशाला में स्व–वित्त मद से अतिथि विद्वान को प्रति कालखण्ड रुपए 275/– की दर से मानदेय दिया जाय, किन्तु अधिकतम मानदेय रुपए 825/–प्रतिदिन की दर से स्ववित्त मद से देय होगा तथा अतिथि विद्वानों को अधिकतम 6 घण्टे अध्ययनशाला में उपस्थित होकर अध्यापन कार्य/अन्य शैक्षणिक दयित्व पूर्ण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही : वाणिज्य अध्ययनशाला)

विषय क्रं. –18 वार्षिक परीक्षा प्रणाली में शुल्क निर्धारण किये जाने विषयक।

कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में वार्षिक पद्धति की परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क निर्धारण के लिए कुलपतिजी द्वारा गठित समिति द्वारा वर्ष 2017–18 में नियमित परीक्षार्थियों से राशि 1800/– एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों से राशि 2100/– प्राप्त की जाने अनुशंसा मान्य की गई।

(कार्यवाही : परीक्षा विभाग)

विषय क्रं–19 कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4/10/2017 में विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं/संस्थानों/विभागो के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु प्रदान की गई स्वीकृति संबंधी।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 29.11.2017 की अनुशंसाओं को मान्य किया जाता है।

(कार्यवाही : आई.टी. सेन्टर)

विषय क्रं. 20 माननीय सदस्यों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा एवं विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं के पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी.ई.टी) की तैयारियां शीघ्र प्रारंभ की जाए, जिससे उपरोक्त अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य समय–सीमा में सम्पन्न हो सकें।

निर्णय लिया गया कि पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए समिति के गठन हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्रं–21

स्व–वित्त कर्मचारी गैर शिक्षक संघ के 1.86 के आधार पर वेतन वृद्धि एवं न्यायालयीन प्रकरणों के विषय में चर्चा।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 9.6.2017 के विषय क्रमांक 36 में लिये गये निर्णयानुसार स्ववित्त संस्थान/अध्ययनशालाओं में स्ववित्त के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में 1.86 की बढौत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इसी अनुक्रम में कार्यपरिषद की आगामी बैठक दिनांक 3.8.2017 में विषय क्रमांक 35 में गठित समिति की अनुशंसा पर वेतन निर्धारण की कार्यवाही एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश शासन के अभिमतानुसार शपथ–पत्र लेकर कार्यवाही का निर्णय लिया गया था, इसी बैठक में विषय क्रमांक 36 (स) में कार्यपरिषद सदस्य के सुझाव पर निर्णय लिया गया था कि माननीय औद्योगिक न्यायालय द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका डब्ल्यू.पी./725/15(एस) प्रस्तुत की गई है को वापस लिये जाने के विषय में विधिक परामर्श लिया जाये।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2017 में विषय क्रमांक 15 में उपरोक्त प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी./725/15(एस) पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. सेठी से प्राप्त अभिमत का वाचन किया गया तथा विधिक अनुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि स्व–वित्त कर्मचारियों को देय एरियर की राशि अंतरिम रूप से पूर्व में दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर 04 किश्तों में प्रदान की जाए एवं प्रथम किश्त दीपावली के पूर्व प्रदान की जाए, जिसके पालन में ––

–विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक स्थापना/2017/ 1703 दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर प्रथम किश्त के भुगतान की कार्यवाही की गई।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा उपरोक्त याचिका डब्ल्यू.पी./725/15(एस) में दिनांक 10 अक्टूबर 2017 में प्रस्तुत आदेश **"We direct the petitioner to pay 25% amount in compliance of the order passed by the Industrial Court on or before 19-10-2017 i.e. prior to diwali and second installment will be paid one month thereafter"** के पालन में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक स्थापना/2017/2263 दिनांक 30.11.2017 द्वारा द्वितीय किश्त के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्व–वित्त कर्मचारी संघ के द्वारा दायर लंबित श्रम न्यायालय के प्रकरण पर कार्यपरिषद में उपरोक्तानुसार विस्तार से चर्चा हुई।

माननीय कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा मत व्यक्त किया गया कि चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्त कर्मचारियों को 1.86 वेतन बढौत्री प्रदान कर दी गई है एवं एरियर की दो किश्ते दे दी गई है, अतः श्रम न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय द्वारा दायर याचिका वापस ली जाने की कार्यवाही की जाना उचित होगा।

इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव एवं कार्यपरिषद के सचिव का मत था कि चूंकि स्ववित्त कर्मचारियों को अतिरिक्त महाधिवक्ता के अभिमतानुसार शपथ–पत्र के आधार पर बढे हुए वेतन एवं एरियर के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण वापस लेने का निर्णय लेने के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता का मत प्राप्त करना उचित होगा, साथ ही पूर्व में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. के.सेठी के अभिमत में भी न्यायालयीन प्रकरण वापस लेने का मत प्राप्त नहीं हुआ है।

कुलसचिव के उपरोक्त मत से डॉ. के.एन. चतुर्वेदी, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा इन्दौर संभाग, इन्दौर ने भी सहमति व्यक्त की गई।

माननीय अध्यक्ष/कुलपति एवं अन्य सभी कार्यपरिषद सदस्यों के द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका तथा स्ववित्त कर्मचारियों द्वारा श्रम न्यायालय में दायर याचिका को आपसी सहमति पत्र तैयार करा कर वापस लिये जाने की कार्यवाही की जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व–वित्त कर्मचारियों को देय एरियर की शेष दो किश्तें माह मई 2018 एवं दिसम्बर 2018 में देय होगी।

(कार्यवाही : स्थापना विभाग/ प्रभारी विधि प्रकोष्ठ/ लेखा विभाग/ समस्त स्ववित्त अध्ययनशालाऐं विभागाध्यक्ष)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर राष्ट्रगान के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(अजय वर्मा)
प्रभारी कुलसचिव/सचिव

(एन.के. धाकड़)
कुलपति/अध्यक्ष